

कार्यालय महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन कैथल।

विज्ञप्ति

शिक्षु अधिनियम 1961 के अर्न्तगत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन करने की योजना है। चयनित शिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यकाल एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण दैड वाईज निम्न अनुसार है:-

Sr. NO.	Trade	Total Seat
1	Mechanic Motor Vehicle	18
2	Diesel Mechanic	18
3	Battery Repairer	2
4	Electrician	8
5	Carpenter	2
6	Welder	4
7	Turner	2
8	Painter	6
9	Tyre Repairer	4
	TOTAL	64

इच्छुक योग्य शिक्षु उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन उपरोक्त देड हेतू आन लाईन वैबसाईट (<https://apprenticeshipindia.org>) पर दिनांक 15.10.2020 से 20.10.2020 तक सांय 05:00 बजे तक Apply कर सकते है तथा आन लाईन Apply करने के बाद उम्मीदवार द्वारा कार्यालय, महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन कैथल में अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति भी जमा करवाना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार OnlineApply करने के बाद अपने मूल प्रमाण पत्र की फोटो प्रति कार्यालय में जमा नही करवाता तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा। अन्तिम तिथि 20.10.2020 को सांय 05:00 बजे के बाद Apprenticeship पोर्टल को बन्द कर दिया जायेगा व इसके बाद का कोई भी आवेदन स्वीकार नही होगा। सभी शिक्षुओं का चयन केवल मैरिट बेस के आधार पर ही किया जायेगा।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल।
24/10